

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

नं० 80/2014

तारीख रजू:- 10.09.2014

मंगती आदि बनाम समयसिंह बगै०

अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

10.09.2014 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं है। बार-बार
जवाब दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार का आवेदन
किया गया है। वकील गैरसायल द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थनापत्र कोई
उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
लाफ गैरसायलान का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल सुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप स्वयं अधिकारी
उपस्वयं अधिकारी
हिण्डौन